

DB Power Limited

Business Office : Village - Badadarha, Post - Kanwali, Dist - Kanpur, Chhattisgarh, PIN - 495 695
Tel. : +91-7788931269

क्रमांक/डी.बी.पा.लि./Liasion/10-01
प्रति,

वनमंडलाधिकारी महोदय,
जांजगीर-चांपा वनमण्डल,
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Extension of Boundary for Power situated at Village Badadarha, area - 4.88 - regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/IND/40088/2019

संदर्भ :-
महोदय,

आपका पत्र क्रमांक/तक.अधि./12597 चांपा, दिनांक 30.12.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत **Extension of Boundary for Power situated at Village Badadarha** के प्रेषित प्रकरण में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा पुनरीक्षित प्रस्ताव चाही गई है जिसका बिन्दुवार 01 से 14 तक पाई गई कमियों का निराकरण टीप सुसंगत अभिलेखो सहित निम्नानुसार है :-

क्रमांक I	प्रस्ताव परीक्षण उपरांत ऑन लाईन कमियां	ऑन लाईन कमियों के निराकरण पर टीप
01	अतिरिक्त जानकारी में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी द्वारा अपलोड नहीं किया गया है।	अतिरिक्त जानकारी में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का सत्यापित डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं वनमंडलाधिकारी का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
02	फार्म A पार्ट II के कालम नं.-16 में (Specific recommendation of the DFO) अपलोड नहीं किया गया है।	फार्म A पार्ट II के कालम नं.-16 में (Specific recommendation of the DFO) अपलोड कर दिया गया है।
03	फार्म A पार्ट II के बिन्दु क्रमांक नं. 13 (1) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल 12.33 हे. (खसरा नं. 1123/1) अपलोड है परन्तु उसी कालम में Present owner file अपलोड फाईल में कलेक्टर कार्यालय द्वारा 10.00 हे. राजस्व वन भूमि का उल्लेख है।	राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1123/1 कुल रकबा 15.560 हे. में से डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट में अतिक्रमण रहित 12.330 हे. राजस्व वन भूमि का सीमांकन कर सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रकरण में आवश्यक कुल रकबा 10.000 हे भूमि पर वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्तुत किया गया है एवं मांग के अनुसार कलेक्टर रायगढ़ के द्वारा जांच प्रतिवेदन उपरांत खसरा नं. 1123/1 कुल रकबा 10.000 हे भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है एवं वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ के द्वारा पत्र क्रमांक 97 दिनांक 08.01.2019 में उपयुक्तता प्रमाण पत्र के साथ साथ यह स्पष्ट किया है कि शेष भूमि को अन्य प्रकरणों में उपयोग किया जावेगा, ताकि क्षेत्र का वन विस्तार किया जा सके।
क्रमांक II	प्रस्ताव परीक्षण उपरांत प्रस्ताव लाईन कमियां	प्रस्ताव में कमियों के निराकरण पर टीप
01	प्रस्ताव में आवेदन विभाग के मांग पत्र के स्थान पर भाग -2 को ही संलग्न किया गया है जिसके स्थान पर आवेदक विभाग का मांग पत्र संलग्न किया है।	प्रस्ताव में आवेदन विभाग का मांग पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 01 में संलग्न कर दिया गया है।

Registered Office :

Dwarka Sadan, 6, Press Complex, Zone-I, M.P.Nagar, Bhopal - 462 011. Tel.: +91-755-398 8884 Fax: +91-755-267 5190

Mobile - 9109950751

D:\DBPL\Liasion\Memo-2020\Jan-2020.doc

DB Power Limited

Business Office : Village - Badadarha, Post - Kanwali, Dist - Janjgir - Champa, Chhattisgarh, PIN - 495 695
Tel. : +91-7389912699

02	प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक 2 प्रपत्र -1 में पंजीयन प्रसंस्करण शुल्क की राशि कोषालय में जमा करने का क्रमांक अंकित नहीं है।	प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक 2 प्रपत्र -1 में पंजीयन प्रसंस्करण शुल्क की राशि कोषालय में जमा करने का प्रमाण पत्र पृष्ठ क्रमांक 8 में संलग्न कर दिया गया है।
03	बिन्दु क्रमांक-4 में उल्लेखित ग्रामों की खसरावार निजी भूमि/शासकीय भूमि का विवरण संलग्न नहीं है तथा नामांतरण संबंधित अभिलेख नहीं है।	संस्थान को 1200 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु उल्लेखित ग्रामों में छ.ग. शासन के द्वारा भू अर्जन/भू आवंटन के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराई गई है एवं संस्थान द्वारा शेष भूमि पंजीयन के माध्यम से कय किया गया है जिसके अभिलेख खसरा सहित पृष्ठ क्रमांक 11 अ में संलग्न है।
04	बिन्दु क्रमांक-5 के संदर्भ में सर्वे ऑफ इंडिया की शीट 64 0-1 में प्रस्तावित क्षेत्र चिन्हांकित नहीं है और ना ही शीट में इण्डेक्स दिया गया है।	बिन्दु क्रमांक-5 के संदर्भ में सर्वे ऑफ इंडिया की शीट 64 0-1 में प्रस्तावित क्षेत्र को चिन्हांकित कर शीट में इण्डेक्स कर पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 13 में संलग्न किया गया है।
05	बिन्दु क्रमांक-6 के संदर्भ में वन प्रबंधक सूचना मंडल कार्यालय से जारी मैप पृष्ठ क्रमांक 17 में 3 टुकड़ों में प्रस्तावित स्थल का डी.जी.पी.एस. क्षेत्र प्रदर्शित है खसरा प्रदर्शित नहीं होने के कारण वांछित खसरों की पुष्टि नहीं हो पा रही है।	बिन्दु क्रमांक-6 के संदर्भ में वन प्रबंधक सूचना मंडल कार्यालय से जारी मैप पृष्ठ क्रमांक 17 में 3 टुकड़ों में प्रस्तावित स्थल का डी.जी.पी.एस. क्षेत्र प्रदर्शित है चूंकि डी.जी.पी.एस. सर्वे के के.एम. एल. फाईल को वन प्रबंधक सूचना मंडल रायपुर को प्रेषित कर वन आवरण मानचित्र प्राप्त किया जाता है जो कि पृष्ठ क्रमांक 17 में संलग्न किया गया है।
06	बिन्दु क्रमांक-7 के संदर्भ में प्रपत्र 4-पृष्ठ क्रमांक 21 एवं पृष्ठ क्रमांक-2 में दर्शित कास्ट प्रोजेक्ट भिन्न है।	बिन्दु क्रमांक -7 के संदर्भ में प्रपत्र 4-पृष्ठ क्रमांक 21 एवं पृष्ठ क्रमांक -2 में दर्शित कास्ट प्रोजेक्ट अनुपूरक है क्योंकि कम्पनी के द्वारा दिनांक 07.01.2008 को राज्य शासन से किए गए एम. ओ.यू. के अनुसार परियोजना की कुल लागत 5200 करोड़ रुपये है। एवं परियोजना प्रतिवेदन अनुसार परियोजना की लागत रु. 6664.48 करोड़ है। जो कि पृष्ठ क्रमांक 24 से 29 में संलग्न किया गया है। जो कि पृष्ठ क्रमांक 24 से 29 में संलग्न है।
07	बिन्दु क्रमांक -12 के संदर्भ में आवेदित स्थल का निरीक्षण परिक्षेत्र सहायक द्वारा किया गया है वन विभाग में प्रचलित नक्शों में राजस्व वन भूमि मार्क नहीं है तो परिक्षेत्र सहायक द्वारा किस आधार पर पुष्टि किया गया है खसरा सही है।	बिन्दु क्रमांक -12 के संदर्भ में आवेदित स्थल का निरीक्षण राजस्व विभाग, वन विभाग, ग्राम पंचायत एवं संस्थान के अधिकारियों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया है जिसका डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट पृथक से संलग्न किया गया है एवं वनमंडलाधिकारी जांजगीर चांपा के द्वारा स्वयं की उपस्थिति में जी.पी.एस. के माध्यम से मिलान का कार्य करावाया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त खसरा सही है। जिस हेतु पंचनामा एवं हल्का पटवारी का प्रमाण पत्र भी पृष्ठ क्रमांक 59 से 60 में संलग्न है।
08	बिन्दु क्रमांक 14-कें संदर्भ में संलग्न मानचित्र पृष्ठ क्रमांक 66(एफ) एवं पृष्ठ 19(ए) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मानचित्र भिन्न है। पृष्ठ क्रमांक 63 अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 हे. राजस्व वन भूमि प्रस्तावित की गई है जबकी डी.जी.पी. एस. सर्वे रिपोर्ट में 12.330 हे. दर्शित है जो अनुपूरक है।	बिन्दु क्रमांक 14-कें संदर्भ में संलग्न मानचित्र पृष्ठ क्रमांक 66 एफ आवेदित कुल रकबा 15.560 हे. का राजस्व विभाग का टुकड़ा नक्शा है एवं पृष्ठ क्रमांक 19(एफ) में चयनित क्षेत्र का वनस्पति मानचित्र है। पृष्ठ क्रमांक 63 अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10.000 हे. राजस्व वन भूमि प्रस्तावित की गई है जबकी डी. जी.पी.एस. रिपोर्ट में 12.330 हे. दर्शित है जो अनुपूरक है के संबंध में वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र में जानकारी प्रस्तुत किया गया है। जो कि पृष्ठ क्रमांक 87 से 88 में संलग्न है।
09	बिन्दु क्रमांक-16 के संदर्भ में संलग्न पृष्ठ क्रमांक 85, 86(ए) एवं पृष्ठ क्रमांक 19(ए) आपस में भिन्न हैं। पृष्ठ-86 (ए) में संलग्न गूगल मानचित्र में सघन घनत्व प्रतीत रहा है	बिन्दु क्रमांक-16 में चयनित रकबा 12.330 हे. का वन सन्निधि नक्शा एवं पृष्ठ क्रमांक 85, 86 (ए) में राजस्व नक्शा में क्षेत्र को दर्शित किया गया है। पृष्ठ क्रमांक 19 (ए) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित 12.330 हे. क्षेत्र दर्शित किया गया है। पृष्ठ-86(ए)

Registered Office :

Dwarka Sadan, 6, Press Complex, Zone-I, M.P.Nagar, Bhopal - 462 011. Tel.: +91-755-398 8884 Fax: +91-755-267 5190

D:\DBPL\Liasion\Memo-2020\Jan-2020.doc

Mobile - 9109950751

DB Power Limited

Business Office : Village - Badadarha, Post - Kanwali, Dist - Janjgir - Champa, Chhattisgarh, PIN - 495 695
Tel. : +91-7389912699

		में संलग्न गूगल मानचित्र में सघन घनत्व प्रतीत हो रहा है के संबंध में वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ का प्रमाण पत्र पृष्ठ क्रमांक 87 से 88 संलग्न हैं।
10	बिन्दु क्रमांक -17 के संदर्भ में वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा किया गया है जिसे वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा अनुशंसा किया गया है स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र में खसरो का विवरण नहीं है और ना ही प्रकरण का उल्लेख है साथ ही दिनांक का भी उल्लेख नहीं है। वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण वनमंडलाधिकारी का ही मान्य किया जाता है	वनमंडलाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र पृष्ठ क्रमांक 87 से 88 में संलग्न किया गया है।
11	बिन्दु क्रमांक-26 में वनमंडलाधिकारी का नाम दर्ज नहीं है। वनमंडलाधिकारी के प्रतिवेदन में आवेदित क्षेत्र के आस-पास निजी एवं शासकीय भूमि को छत्तीसगढ़ शासन भू-अर्जन का आवेदक को प्रदाय किया गया है किन्तु अभिलेख संलग्न नहीं है।	व.म.अ. जांजगीर चांपा का नाम श्री रामकृष्ण वाई है। जिसे दर्ज कर दिया गया है। वनमंडलाधिकारी के प्रतिवेदन में आवेदित क्षेत्र के आस-पास निजी एवं शासकीय भूमि को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भू-अर्जन का आवेदक को प्रदाय किया गया है जिसका अभिलेख पृष्ठ क्रमांक 11 अ में संलग्न कर दिया गया है।
12	परियोजना में आवेदित क्षेत्र के आस-पास का सन्निधि मानचित्र संलग्न नहीं है एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य का गणना पत्रक भी संलग्न नहीं किया गया है।	परियोजना में आवेदित क्षेत्र के आस-पास का सन्निधि मानचित्र पृष्ठ क्रमांक 17 से 19 में संलग्न है एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य का गणना पत्रक भी पृष्ठ क्रमांक 125 अ में संलग्न कर दिया गया है।
13	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक-10 अनुसार राजस्व वन का खसरा क्रमांक 779/1 का कुल रकबा 25.008 हे. में से आवेदित रकबा 4.88 हे. दर्ज है जबकि पृष्ठ क्रमांक 60 में इस खसरे का रकबा 10.931 में से आवेदित रकबा 5.00 हे. दर्ज है। जो एक दुसरे के समरूप नहीं है।	राजस्व अभिलेखों के अनुसार खसरा क्रमांक 779/1 का कुल रकबा 25.008 हे. है जिसका खसरा पांचशाला पृष्ठ क्रमांक 67 से 68 में संलग्न है। जिसमें न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये संस्थान के द्वारा केवल प्लांट की बाउन्ड्री के विस्तार हेतु रकबा 4.880 हे न्यूनतम एवं आवश्यक भूमि की मांग की गई है।
14	प्रस्ताव में कई पृष्ठों में क्रमांक अंकित नहीं है अतः चेक लिस्ट अनुसार सही क्रमांक अंकित किया जाये।	प्रस्ताव में समस्त पृष्ठों में क्रमांक अंकित कर दिया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा में स्थित पावर प्लॉट के बाउन्ड्री विस्तार हेतु विषयांकित प्रस्ताव प्रस्तावित है। ग्राम बाड़ादरहा में पूर्व से स्थित पावर प्लॉट हेतु वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पावर प्लॉट किसी भी प्रकार के वन भूमि पर स्थापित नहीं है। चूंकि प्लांट के बाउन्ड्री के विस्तार हेतु कुल 4.880 हे. राजस्व वन भूमि की आवश्यकता है जिस हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। अतः चाही गई उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति/निराकरण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी

(डी.बी.पावर लिमिटेड)

ग्राम-बाड़ादरहा, तहसील डभरा

जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग)

Registered Office :

Dwarka Sadan, 6, Press Complex, Zone-I, M.P.Nagar, Bhopal - 462 011. Tel.: +91-755-398 8884 Fax: +91-755-267 5190

Mobile - 9109950751

C:\NDP Mission\Memo-2020\Jan-2020.doc

Scanned by CamScanner